

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक काण्डीखाल टि०ग०।

: सूचना :

संस्था में अध्यनरत समस्त दशमोत्तर योजना के अन्तर्गत पात्र sc,st एवं obc के छात्र-छात्राओ को सूचित किया जाता है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नेशनल छात्रवृत्ति योजना वेब पोर्टल पर करते हुये अपना आवेदन दिनांक 06.12.2023 से 31.12.2023 तक करना सुनिश्चित करें। तथा आवेदन फार्म का प्रिंट आउट एवं समस्त संलग्नक दस्तावेज (छायाप्रति) दिनांक 31.12.2023 तक संस्था में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऐसा ना करने की दशा में छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र-छात्राओ की स्वयं की होगी।

नेशनल वेब पोर्टल का पता- www.scholarships.gov.in

नोट-संस्था मे शिक्षण शुल्क जमा हो जाने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा।


प्रधानाचार्य

पृ०सं० 417 / छात्रवृत्ति / 2023-24

दिनांक: 06.12.2023

प्रतिलिपि: सूचना पट्ट में चस्पा हेतु।

2. मेसर्स सॉफ्ट मार्ट 11/10 मैजिस्टिक, कांमपलैक्स राजपूर रोड देहरादून-248001 को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त सूचना संस्था की वेब साइड पर अपलोड करने के साथ ही नेशनल छात्रवृत्ति योजना का लिंक संस्था की वेबसाइड पर उपलब्ध कराना सूनिश्चित करे।



प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक काण्डीखाल
टि०ग०

कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांक: C-3324/संक०/छात्र०आवे०/2023-24

दिनांक: 5/12/2023

प्रेस विज्ञप्ति

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नौताल के आदेश संख्या 2477 दिनांक 05-12-2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ी जाति/ दिव्यांग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं ई०बी०सी० छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाईन नवीन आवेदन पत्र (Fresh Registration) भरे जाने तथा नवीनीकरण (Renew) किये जाने हेतु भारत सरकार का छात्रवृत्ति पोर्टल <https://scholarships.gov.in> दिनांक 06-12-23 से दिनांक 31-12-2023 तक खोल दिया गया है।

अतः समस्त विद्यार्थियों/ संस्थानों/ छात्र/ छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023-24 के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ी जाति/ दिव्यांग तथा ई०बी०सी० वर्ग के छात्र/ छात्राएं अपना आवेदन पत्र 31-12-2023 तक प्रत्येक दशा में ऑनलाईन करना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करा दें। सम्बन्धित संस्थानों को भी सूचित किया जाता है कि संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑनलाईन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को दिनांक 31-12-23 तक छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से संस्थान स्तर से अग्रसारित कर दें। यदि पात्र छात्र का आवेदन पत्र संस्थान स्तर पर लम्बित रहता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाध्यक्ष का होगा। यह भी अवगत करना है कि शासनदेश संख्या 319 दिनांक 13-3-19 के अनुसार छात्रवृत्ति भुगतान से पूर्व सम्बन्धित संस्थान की मान्यता के साथ-साथ सम्बद्धता होने का प्रविधान किया गया है। तदनुसार मान्यता एवं सम्बद्धता होने के पश्चात् ही विभाग द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही की जानी संभव होगी।

(टीका राम मलेठा)

जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।

